Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/June/2025 08:04:59 PM

अप्रमाणित प्रति

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00612

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश			
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

2) श्यामवीर सिंह / मॉगे / अरदाया तह0 किरावली

3) जमुनी / रघुवीर सिंह / अरदाया तह0 किरावली

4) कमल सिंह / रघुवर सिंह / अरदाया तह0 किरावली

5) श्रीमती पार्वती / वि0वारिस वासदेव / अरदाया तह0 किरावली

6) श्रीमती भौहतादेवी / स्व0हाकिम सिह / अरदाया तह0 किरावली

7) कालीचरन / हरीसिह / नि. ग्राम

8) भीकमसिह / हरी सिह / नि.ग्राम

9) राजकुमार / हरी सिह / नि.ग्राम

अप्रमाणित प्रति

10) मुकेश / हरी सिह /
नि.ग्राम

11) नीरज / हरी सिह /
नि.ग्राम

12) जलदेवी पत्नी / हरी सिह /
नि.ग्राम

कुल गाटे : एक **कुल क्षेत्रफल :** शून्य दशमलव पांच पांच सात शून्य (हेक्टेयर) **कुल भू-राजस्व :** एक शून्य दशमलव पांच शून्य रुपये

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202501010100192 / 13-02-2025 / दुरस्ती (सिर्फ नाम हटायें) / ASHOK KUMAR () / 17-02-2025	1.1) हरदम सिंह/मिही लाल/अरदाया तह0 किरावली (: -) 1.2) श्यामवीर सिंह/मॉगे/ अरदाया तह0 किरावली (: -) 1.3) जमुनी/रघुवीर सिंह/ अरदाया तह0 किरावली (:	780 (1246210780000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4) - 1.5) -	1.1) - 2.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	780 (1246210780000012)	1.1) - 2.1) -

अप्रमाणित प्रति

2) अन्य / T202501010103261 / 19-04-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 06-05-2025	-) 1.4) श्रीमती भौहतादेवी/ स्व0हाकिम सिह/अरदाया तह0 किरावली (: -) 1.5) कालीचरन/हरीसिह/ नि. ग्राम (: -) 1.6) भीकमसिह/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.7) राजकुमार/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.8) मुकेश/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.9) नीरज/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.10) जलदेवी पत्नी/हरी सिह/नि.ग्राम (: -) 2.1) श्रीमती पार्वती/ वि0वारिस वासदेव/अरदाया तह0 किरावली (: -)	1.6) - 1.7) - 1.8) - 1.9) - 1.10) - 2.1) -

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

1) 1423फ::- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैकऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि0 03-02-16 के अनुसार पार्वती पत्नी वासदेव का खाता 120000/- में बन्धक किया जाता है ह0आर0के016-04-16/क्र. 2013 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

2) 1431फ व आदेश श्रीमान ना०तह०बरौलीअहीर के आदेश दि० 18-04-24 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 435/1.6350हे०, 780/0.5572हे०, 791/0.9115हे० कुलकिता 3 क्षेत्रफल 3.1037हे० मे 1/5 भाग मे से 1/2 भाग पर श्यामवीर सिंह पुत्र मॉगे नि० अरदाया तह0 किरावली आगरा का नाम दर्ज रहेगा अंश सही किया जाए द्वारा पत्रावली ह०आर०के० 18-04-24 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 19-04-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) व आदेश श्रीमान चकबन्दी अधिकारी वाद सं0 87/26-05-07 नियम 109 (क) आदेश हुआ कि ग्राम ककुआ परगना व तहसील आगरा के आ0प045 के खाता सं0 317 में अंकित नवीन गाटा सं0 435 रकवा 1.6350 व 780/0.5562, 791/0.9115 खाता से खारिज करके आ0प045 के खाता सं0 317अ जमुनी पुत्र

2) रघुवीर के खाते में गाटा सं0 791 रकवा 0.3073 व आ0 प0 45 के खाता सं0 317ब कमल सिह पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे नवीन गाटा सं0 780/0.2731 व खाता 317स मु0पारवती विधवा वासदेव के खाते मे गा0सं0 791 रकवा 0.2743 व 780 रकवा 0.2840 व खाता सं0 317द मिहीलाल पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे गाटा सं0 435

3) रकवा 0.6786 व आ0प045 के खाता सं0 317घ मॉगे पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे गाटा सं0 435 रकवा 0.3016 व 791 रकवा 0.3299 व खाता सं0317न हरी सिह पुत्र छिददू के खाते मे गाटा सं0 435 रकवा 0.6548 दर्ज हो ह0च0अ0 15-11-07

4) 1429फ व आदेश श्रीमान रा0नि0 पोर्टल आर सी प्रपत्र 9 कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या-20211460076600 1959 दि0 25-08-21 के अनुसार कमल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह मृतक के स्थान पर पुष्पा पत्नी कमल सिंह व सुनील कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रेम सिंह, श्रीनिवास सिंह, रवेन्द्र सिंह पुत्रगण कमल सिंह नि0 ग्राम व पोस्ट ककुआ का नाम वतोर वारिस दर्ज हो ह0आर0के0 03-09-21

अप्रमाणित प्रति

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रति

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010103261
वाद संख्या:- 3261/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम पार्वती
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/04/2025

वाद सं0 ज्202501010103261/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम पार्वती

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 780 रकवा 0.5570हे0 में से रकवा 0.2840हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने पार्वती सेे कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। मौजा गाटा संख्या 780 रकवा 0.5570हे0 में से रकवा 0.2840हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00612 के गाटा संख्या 780 रकवा 0.5570हे0 में से रकवा 0.2840हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्ेरता पार्वती पत्नी श्री वासदेव उर्फ वासुदेव निवासी ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 14203014/-रू0 आवेदन संख्या-202500766017054 दिनांक 12.03.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

भारतीय गैर न्यायिक NON JUDICIAL

रु.20000 बीस हजार TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 687087

बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज	–	बैनामा
भूमि का प्रकार	–	कृषि भूमि
मौजा / ग्राम	–	मौजा– ककुआ, तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	–	कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 780 क्षेत्रफल 0.5570 हेक्टेयर में से 0.2730 हेक्टेयर
यूनिक कोड	–	124621078000O012
मापन की इकाई	–	हेक्टेयर
विक्रीत क्षेत्रफल	–	0.2730 हेक्टेयर
पेड़ों का मूल्यांकन	–	पेड़ है, जिनकी कीमत 18,086/– रूपया है। जिसका सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मूल्यांकन किया गया है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

आगरा विकास प्राधिकरण

2000
2

956910

यह स्टाम्प पत्रांक सं0 ....
नं0 – 1 में शामिल है :

रमेश ... रिया
मुख्य रोकडिया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.20000 Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687086

कुंआ, बोरिंग व अन्य–		नहीं है
सड़क की स्थिति	–	सामान्य कृषि भूमि
सरकारी मालियत	–	34,12,500/– रूपया
प्रतिफल की धनराशि–		1,36,68,086/–रूपया (13667000+18086)
सर्किल रेट	–	125,00,000/– रूपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं0 245 पर अंकित है।
स्टाम्प	–	9,56,900/– रूपये

20000/-

956900

यह स्टाम्प [illegible] ....

सं0 - 1 से [illegible] है।

[illegible]

[illegible]

[illegible], आगरा

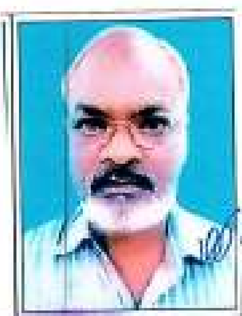

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687085

अन्य विवरण – विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, लिंक मार्ग व आबादी के सहारे स्थित नहीं है, सामान्य कृषि भूमि है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

सुनील कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रेम सिंह, श्रीनिवास सिंह व रवेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कमल सिंह व श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री कमल सिंह निवासीगण ककुआ, तहसील व जिला आगरा मो0नं0 7830855518 पैन नं. IHMPK3719R, ICSPK0710H, GOOPS0375E, ALEPN7767L, GZCPS8845A, FDCPP3854D

.........प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो0 नं0 9458626266 पैन नं. AAALA0081F

............द्वितीय पक्ष / क्रेता

सुनील कुमार

नि. अं. पुष्पा

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

20000
3

यह ... 956900
नं0 - 1 ...

... रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687084

प्रलेख –

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाकै मौजा ककुआ तहसील व जिला–आगरा कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 780 क्षेत्रफल 0.5570 हेक्टेयर में से 0.2730 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427–1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। जिसकी वावत् विक्रेतागण ने शपथ पत्र भी द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उक्त खाते की भूमि में उनका संयुक्त रूप से 0.2730 हेक्टेयर हिस्सा है जिसको वह द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय करने को पूर्ण रूप से सहमत है उक्त विक्रय की वावत् उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगडे, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

२००००
४

९५६१००

[illegible]

नं० - 1 [illegible]

[illegible]रिया
[illegible]डिया
[illegible]गार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687083

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा–पूरा लाभ है।

सुनील कुमार

नि.आ.उ.स्य.

हेमसिंह

नरेन्द्र कुमार

रविन्द्र सिंह

20000/5

यह स्टाम्प ... 9569.00
नं0 - 1 में दाखिल है।

...ेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687082

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 1,36,68,086/— रूपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रत्न मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रूपया मु0 1,36,68,086/— रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि—

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि. भा. पुष्पा

20000/6

यह [illegible] 956900

सं0 - 1 से [illegible]

[illegible] राजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687081

क्र.सं.	धनराशि	बैंक / डी0डी0 RTGS/UPI सं0	दिनांक	बैंक का नाम
1.	22,78,015/–	066812	12-03-25	HDFC
2.	22,78,015/–	066813	"	"
3.	22,78,014/–	066814	"	"
4.	22,78,014/–	066815	"	"
5.	22,78,014/–	066816	"	"
6.	22,78,014/–	066817	"	"
कुल	1,36,68,086/–			

(नोट– विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी0डी0एस0 काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली हैं। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

सुशील कुमार

नरेन्द्र कुमार

तेजसिंह

[illegible] सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि०श्री पुष्पा

20000
7

यह स्टा[illegible] 956900
नं0 - 1 से [illegible]

[illegible] राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687080

अतः कब्ज़ा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हैं। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

भूपसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: भा. पुष्पा

२००००
8

[illegible] 956900

नं० - [illegible]

[illegible]
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687079

यह कि अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

केशसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि०आ०-पुष्पा

20000 / 1

156400

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687078

और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रबुनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय ब्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय ब्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: आ: प्रा:

20000
/10

यह स्टाम्प ... 956900
नं0 - 1 मे शामिल है।

हृदेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687077

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

20000
31

956900

दिनेश राजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687076

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवाससिंह

रवेन्द्रसिंह

नि.अ पुत्र

20000/12

यह स्टाम्प सम्बन्धित इ0 956900
नं0 - 1 मे शामिल है।

इंदिरा राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687075

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
13

यह स्टाम्प [illegible] 956900
नं० - 1 में शामिल है।

[illegible] राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687074

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
/14

यह स्टाम्प [illegible] 956900
नं० - 1 से सम्बद्ध है।

[illegible]
मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687073

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

भगवानसिंह

रविन्द्र सिंह

20000
15

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687072

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीमिलसिंह

रवेन्द्र सिंह

मि०श्रा पुष्पा

20000
/16

क्र ... 956900
नं० - 1 दिनांकित है।

राजौरिया
रोकड़िया
कोषागार, आगरा

उ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687071

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

अभिनव सिंह

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि॰ श्री॰ पुष्पा

20000
17

९५६१००

आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687070

-18-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
18

956400

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687069

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्री निवास सिंह

कुँवर सिंह

रवेन्द्र सिंह

मि०आ पुष्पा

२०००० / १५

यह स्टाम्प वापसी रु. 956900
नं0 - 1 में सम्मिलित है।

रजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687068

-20-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुशील कुमार

नरेन्द्र कुमार

देवीसिंह

श्रीनिवाससिंह

रविन्द्र सिंह

मि.श्री कुमार

२००००
४०

यह स्टाम्प [illegible] 956900
नं० - 1 में [illegible] है।

[illegible] राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687067

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि॰ आ॰ पुष्पा

20000
21

956900

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687066

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: आ पुष्पा

20000
22

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687065

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
23

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687064

-24-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

अमीन पाल सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि०आ पुष्पा

२००००
२५

९५६९००

हरेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687063

-25-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्री भिनालसिंह

डेमीसिंह

रवेन्द्र सिंह

मि. भा. कुमा

20000
25

यह स्टाम्प पंजीकृत सं0 956900
नं0 - 1 मे शामिल है ।

हृदेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687062

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: आ- पुत्री

20000
26

यह स्टाम्प [illegible] 956900
सं0 - 1 से शामिल है।

हरेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687061

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी
7 MAR 2025

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि. अं. पुष्पा

20000
27

956900

हरीश राजौरिया
मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687060

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

केतसिंह श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

20000
28

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687059

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
29

यह स्टाम्प पत्रावलि क्र0 956900
नं0 - 1 में शामिल है।

उमेश सजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687058

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

शिवनारायण सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.आ. कुमारी

20000

30

यह स्टाम्प [illegible] 956900
नं० - 1 से सम्बन्धित है ।

रमेश सजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687057

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

25000
32

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687056

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: अ: कृष्णा

20000
32

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687055

-33-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

केशसिंह

अभिलाषसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि. अ. पुष्पा

20000
32

यह स्टाम्प धनराशि रु0 956100
नं0 - 1 मे शामिल है ।

हृदेश रोजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687054

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: अ० पुष्पा

20000
33

यह स्टाम्प सम्बंधित रु० 956900
नं० - 1 में शामिल है।

हरेश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687053

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवाससिंह

देवेन्द्रसिंह

नि. अ. कृष्णा

20000
34

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687052

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
35

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687051

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्रीनिवास सिंह

धर्मसिंह

रवेन्द्र सिंह

20000
36

956900

नं० - 1

दिनेश राजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687050

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

जोगेन्द्र सिंह

खेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अ. पुखा

20000
37

956900

दुर्गेश रावोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687049

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20800
38

956960

दिनेश सर्वोदिया
...
फतेहाबाद, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687048

-40-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000 / 39

यह स्टाम्प धनराशि रू0 956900 नं0 - 1 मे शामिल है।

राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687047

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
50

यह स्टाम्प ... क्र0 958900
नं0 - 1 में शामिल है।

... रजोरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687046

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

भीमपाल सिंह

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.आ. पुष्पा

20000
49

[illegible] 956900
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687045

-43-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्री निवास सिंह

इन्द्र सिंह

नि: अं: मुखा

20000
/92

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687044

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

भीमनाराकिसह

इन्द्र सिंह

निःअ. पुष्पा

20000
03

956900

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687043

7 MAR 2025

-45-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

२०००० / ५५

यह स्टाम्प धनराशि रु. 956900

नं0 - 1 मे शामिल है।

बृजेश राजौरिया

मुख्य रोकड़िया

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687042

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

20000
45

यह स्टाम्प ... 156900
नं0 - 1 से ...

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 687041

-47-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

देवसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: अं. पुष्पा

20000
46

[illegible] 956900

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052141

-48-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

केमसिंह

श्री निवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अ. पुष्पा

15000
47

यह स्टाम्प प्रमाणित क्र.... 956900
नं. - 1 से शामिल है।

[illegible] राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976827

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्रीनिवास सिंह

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि:अ: पुष्पा

500/98

956900

कोषागार, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-50-

AK 976826

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्री निवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि: अ: पुष्पा

800
44

95690

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976825

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

रवेन्द्र सिंह

800
50

यह स्टाम्प [illegible] 956900
नं0 - 1 से [illegible] है।

...देश राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

621

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306380

5 MAR 2025

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकेट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

गवाह–1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि0 8/153 ई–10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो0नं0 7895495945

रवेन्द्र सिंह

विनोद

गवाह– 2 रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0 17/166 टीला माईथान, आगरा मो0नं0 8535056934

मि.थ पुष्पा

१०० / ५५.

आवेदन सं०: 202500766017064

956900

07/3/25

(सरकारी) विक्रय पत्र

वर्ष: 2025

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 2392

प्रतिफल- 13668086 स्टाम्प शुल्क- 956900 बाजारी मूल्य - 13668086 पंजीकरण शुल्क - 136690 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 260 योग : 136950

श्री आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा
विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
सहप्रभारी भूअर्जन
व्यवसाय : अन्य
निवासी: आगरा

विमल कुमार अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/03/2025 एवं
05:14:24 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

निबंधक लिपिक
12/03/2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306381

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक .... को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्रीनिवास सिंह

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अ. पुष्पा

100
53

आवेदन सं०: 202500[illegible]

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 2392 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

सुनील कुमार

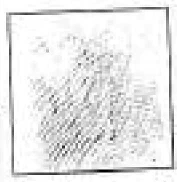
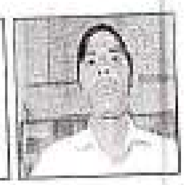

विक्रेता: 2

श्री नरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कमल सिंह

नरेन्द्र कुमार

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

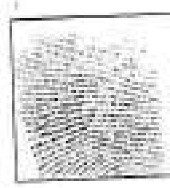
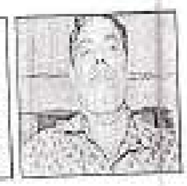

विक्रेता: 3

श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

प्रेमसिंह

व्यवसाय: अन्य

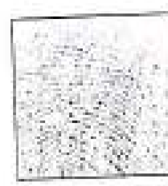
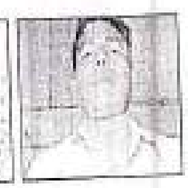

विक्रेता: 4

श्री श्रीनिवास सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

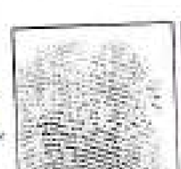

विक्रेता: 5

श्री रवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

रवेन्द्र सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

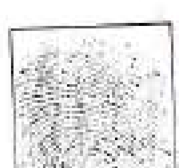

विक्रेता: 6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306382

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनीत कुमार

नरेन्द्र कुमार

धर्मसिंह

श्रीनिवास सिंह

देवेन्द्र सिंह

नि:श. पुष्पा

200
52

श्रीमती पुष्पा, पत्नी श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ, तहसील व जिला आगरा

व्यवसाय: गृहिणी

क्रेता: 1

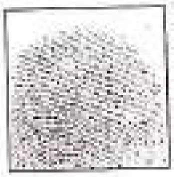

श्री आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विमल कुमार , सहप्रभारी भूअर्जन

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य

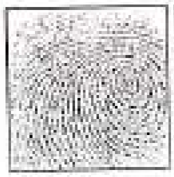

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

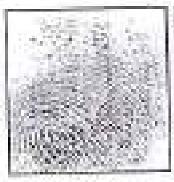
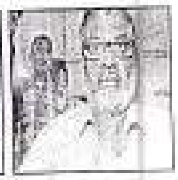

श्री रवि बघेल , पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: 17/166 टीला माईथान, आगरा

व्यवसाय: अन्य

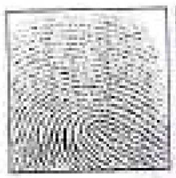

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

० ० ०
निबंधक लिपिक आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306383

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

महेन्द्र कुमार

रवेन्द्र सिंह

नि: अं: पुष्पा

200
52

आवेदन सं०: 202500766017064

958900

यह स्टाम्प धनराशि रू०..................

नं० - 1 मे शामिल है ।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7582 के पृष्ठ 31 से 422 तक क्रमांक 2392 पर दिनाँक 12/03/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रुचिका राजौरिया
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें